

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 718/602/वित्त/नियम/चार/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.11.2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:—सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/परिवार पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में

संदर्भ:—(1) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक 156/23/वित्त/नि./चार/2002 दिनांक 18.03.2002

(2) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 508/163/2003/स्था./चार, दिनांक 08.04.2003

(3) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 250/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 21.08.2007

(4) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 115/159/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 27.5.2008

(5) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 133/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 23.04.2012


(6) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 245/एल 2018-55-00002/वि/नि/चार, दिनांक 23.5.2018

—0—

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं सेवानिवृत्त परिलाभों के समय पर निराकरण हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार आपकी सेवाओं का" में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश से वित्त निर्देश क्रमांक 245/एल 2018-55-00002/वि/नि/चार, दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व तैयारी प्रारंभ करने तथा सेवानिवृत्ति तिथि के 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।


(अमिताभ जैन)
मुख्य सचिव

पृ.क्र.719/602/वित्त/नियम/चार/2021
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.11.2021

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


(इन्द्रप्रकाश यादव)
अवर सचिव